न्यायालय सत्र न्यायाधीश (रमाबाई नगर) कानपुर देहात ।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1173/2026

CNR No.UPRN01– 003116–2026

1. मोनिका उम्र लगभग 30 वर्ष पुत्री साहेब लाल, निवासिनी ग्राम भारत सिंह का पुरवा, थाना रूरा, जनपद कानपुर देहात। ..आवेदक/अभियुक्त,

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य ....विपक्षी,

सत्र परीक्षण संख्या–1666/2025
मु०अ०सं०–88/2025
धारा–108 बी०एन०एस०
थाना–रूरा, कानपुर देहात।

आदेश

1. सत्र परीक्षण संख्या–1666/2025, मु०अ०सं०–88/2025,धारा–108 बी०एन०एस०, थाना–रूरा, कानपुर देहात के मामले में अभियुक्ता मोनिका की ओर से जमानत हेतु जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी रामबाबू के द्वारा इस आशय की तहरीर थाना रूरा, कानपुर देहात में दी गयी कि उसके सबसे छोटे पुत्र विजय सिंह का विवाह दिनांक–25.02.2024 को मोनिका के साथ हुई थी। शादी के बाद उसके पुत्र के ससुरालीजन व बहू मोनिका घर से अलग रहने को लेकर उसके पुत्र विजय सिंह को आये दिन प्रताड़ित व परेशान करते थे। घर में किसी तरह का कोई क्लेश या विवाद न हो इस कारण विजय विगत 05.08.2024 को बहू मोनिका को लेकर एक फैक्ट्री में काम करने हेतु जैनपुर चला गया और वहीं किराये का कमरा लेकर मोनिका के साथ रहने लगा, वहीं पर रहने के दौरान उसकी बहू मोनिका के अवैध प्रेम संबंध किसी व्यक्ति के साथ हो गये थे, जिस पर मोनिका दिनांक–05.03.2025 को अपने प्रेमी के साथ भाग गयी थी, जिस पर उसके पुत्र विजय ने दिनांक–10.03.2025 को थाना अकबरपुर में रिपोर्ट दर्ज करायी थी। घटना की जानकारी के बाद वह अपने पुत्र के निवास जैनपुर पहुँचा तो वहाँ पर उसकी बहू मोनिका के पिता साहबलाल, सास रामदेवी, दीपक पुत्र साहबलाल व बहन शिवानी मौके पर मौजूद थे और उसके पुत्र को गाली–गलौज कर मारपीट पर आमादा थे और उसे जान से मारने की धमकी दे रहे थे। उसने जब बीच बचाव किया तो उक्त लोगों ने कहा अगर उसकी पुत्री मोनिका को ढूढ़कर नहीं लाये तो उसे व उसके परिवारीजन को फर्जी मुकदमें लगवाकर जेल करायेगा। दिनांक–22.03.2025 को उसके ससुराल से फोन आने पर उसका पुत्र दिनांक–23.03.2025 की शाम रोशनमउ अपनी ससुराल गया था, वहाँ पर ससुर साहेबलाल इनकी पत्नी राम देवी व पुत्र दीपक व उसकी बहन शिवानी घर पर मौजूद थे। वहीं पर वाद विवाद होने पर उक्त लोगों ने उसके पुत्र विजय को जलील करते हुये गाली–गलौज कर मारापीटा और आत्महत्या कर लेने को उकसाया, जिस पर उसके पुत्र ने अपनी ससुराल से कुछ दूरी पर जाकर एक पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली। गांव वालों के द्वारा जानकारी देने पर वह व परिवार के लोग मौके पर पहुँचे।

3. आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट तीन दिन विलम्ब से दर्ज करायी गयी है जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 23.03.2025 गो मोनिका रोशनमउ गाँव में नहीं थी। वादी मुकदमा का पुत्र विजय सिंह का विवाह मोनिका के साथ सम्पन्न हुआ था। विजय सिंह शराब व अन्य नशे का आदी था और शराब पीकर अपनी पत्नी को बुरी तरह मारता पीटता था और शारीरिक उत्पीड़न करता था जिस कारण वह अपनी चचेरी बहन

Digitally signed by RAVINDRA SINGH
Date: 2026.06.15 16:30:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

के घर दिनांक 05.03.2023 को चली गयी थी। आवेदिका/अभियुक्ता दिनांक 12.09.2025 से जिला कारागार में निरूद्ध है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उपरोक्त आधार पर उनके द्वारा आवेदिका/अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

4. अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के द्वारा जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया गया है कि इस मामले में वादी मुकदमा रामबाबू के पुत्र विजय के द्वारा मफलर का फंदा लगाकर पेड़ से लटक कर आत्महत्या कारित की गयी है। इस मामले में मृतक विजय की पत्नी मोनिका इस घटना के पूर्व अपने घर से भाग गयी थी। मृतक ने अपने सुसाइड नोट में अपनी मौत के लिये मोबाइल नम्बर 9838568139 का उल्लेख करते हुये मोनिका व दीपक को उत्तरदायी ठहराया है। विवेचना के दौरान कथित मोबाइल नम्बर 9838568139 सह–अभियुक्त दीपक पासवान का होना पाया गया है। मामले में आरोप पत्र प्रेषित हो चुका है। अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

5. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अभियोजन प्रपत्रों के परिशीलन से यह ज्ञात होता है कि इस मामले में वादी मुकदमा रामबाबू के पुत्र विजय की पत्नी मोनिका के किसी अन्य व्यक्ति के साथ भाग जाने के कारण तथा विजय के ससुरालीजन के द्वारा विजय को प्रताड़ित किये जाने के जाने के कारण विजय के द्वारा मफलर से फांसी का फंदा बनाकर आत्महत्या कारित की गयी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक की मृत्यु हैंगिग से होना उल्लिखित है। मौके पर मृतक के पहने पैंट की दाहिनी जेब से एक अदद सुसाइड नोट बरामद हुआ है। मामले में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार सुसाइड लेख व नमूना लेख एक ही व्यक्ति के द्वारा लिखा होना पाया गया है। सुसाइड नोट में मृतक ने अपनी मृत्यु के लिये आवेदिका/अभियुक्ता मोनिका व दीपक को उत्तरदायी ठहराते हुये दीपक कुमार का मोबाइल नम्बर 9838568139 अंकित किया है। विवेचना के दौरान कथित मोबाइल नम्बर 9838568139 सह अभियुक्त दीपक का होना पाया गया है। पत्रावली में Jio Subscriber Details भी संलग्न है। सीडी के पर्चा सं०–27 में कथित मोबाइल नम्बर 9838568139 से मोबाइल नम्बर 8542846581 मृतक विजय व उसकी पत्नी मोनिका द्वारा प्रयोग किया जाना उल्लिखित किया गया है। वादी मुकदमा रामबाबू ने अपने मजीद बयान में मोनिका का अभियुक्त दीपक से अवैध प्रेम संबंध होने तथा मोनिका का दीपक के साथ भाग जाने और इसी कारण मृतक के द्वारा आत्महत्या कारित किये जाने का कथन किया है। कथित अपराध गंभीर प्रकृति है।

7. सम्पूर्ण तथ्यो, परिस्थितियों एवम् अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए आवेदिका/अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किये जाने का कोई ठोस आधार विद्यमान नहीं है।

8. निष्कर्षतः आवेदिका/अभियुक्ता की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक–15.06.2026

(रविन्द्र सिंह)
सत्र न्यायाधीश
रमाबाई नगर (कानपुर देहात)।
J.O. Code–UP02003